मालीराम वगैरह बनाम गणपतराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 113 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः– 113 / 2022

प्रार्थीगणः–

1. मालीराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 65 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
2. दीपाराम पुत्र भैरूराम जाति कुमावत उम्र 66 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
3. मदनलाल पुत्र भूराराम जाति कुमावत उम्र 52 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. गणपतराम पुत्र औंकारमल जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
2. किस्तुरीदेवी पत्नि किशनाराम जाति गुर्जर उम्र 85 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
3. गोपाल पुत्र किशनाराम जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
4. बजरंगलाल पुत्र किशनाराम जाति गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
5. बनाराम पुत्र किशनाराम जाति गुर्जर उम्र 62 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
6. निर्मलकुमार पुत्र औंकारमल जाति कुमावत उम्र 50 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
7. गिरधारी पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
8. गोपीराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
9. चौथमल पुत्र भगवाना जाति कुमावत उम्र 52 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
10. जगदीश पुत्र भगवाना जाति कुमावत उम्र 55 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
11. तीजूदेवी पत्नि मंगलचन्द जाति कुमावत उम्र 70 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
12. दीपाराम पुत्र भेरू जाति कुमावत उम्र 6[illegible] वर्ष निवासी घाटवा तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
13. घुकलराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 5[illegible] वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

14. पूरणमल पुत्र मंगलचन्द जाति कुमावत उम्र 28 निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
15. प्रभातराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 60 निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
16. बाबुलाल पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत उम्र 42 निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
17. मंगली पत्नि भगवानाराम जाति कुमावत उम्र 75 निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
18. मदनलाल पुत्र भुराराम जाति कुमावत उम्र 52 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
19. महादेव पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 54 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
20. मांगीलाल पुत्र कानाराम जाति कुमावत उम्र 65 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
21. रामदेवाराम पुत्र मंगलचन्द जाति कुमावत उम्र 30 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
22. सुरेश पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत उम्र 44 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
23. प्रभातीराम पुत्र कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
24. गीरधारी पुत्र कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
25. महादेवाराम पुत्र कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 54 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
26. धुकलराम पुत्र कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 50 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
27. चोथीदेवी पुत्री कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 70 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
28. गलकुदेवी पुत्री कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 68 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
29. सुशिला पुत्री कानाराम माता गुलीदेवी जाति कुमावत उम्र 58 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
30. ग्यारसीदेवी पत्नि मनीराम जाति कुमावत उम्र 65 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
31. पप्पुराम पुत्र मनीराम जाति कुमावत उम्र 45 वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
32. हीरालाल पुत्र मनीराम जाति कुमावत उम्र [illegible] वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।
33. गुलाबीदेवी पुत्री मनीराम जाति कुमावत उम्र [illegible] वर्ष निवासी गांधीग्राम तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

34. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार नावां (भुमिधारी) तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक : 19.12.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम गांधीग्राम के खसरा संख्या 166 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 2.8900 हैक्टर कुल रकबा 3.7500 हैक्टर स्थित है। अप्रार्थीगण की ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टर भूमि स्थित हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टर भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरिये नक्शे एवं ट्रेस नक्शे अनुसार दक्षिणी माठ से लगी हुई भूमि जो पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ते के लिए मांगी गई है जिसकी लम्बाई 120 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है कुल क्षेत्रफल 480 वर्गमीटर है। उसके साथ ही खसरा नम्बर 166, 167, 168 जो उक्त खसरे की भूमि से लगते हुए है। उक्त खसरे में जाने के लिए आवेदित रास्ते की जरूरत है। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन के लिए केवल मात्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 33 की भूमि की एकमात्र कटाणी रास्ते से नजदीक होने का विकल्प है अन्य कोई भी विकल्प शेष नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की जो खसरा नम्बर 170 की भूमि है जो अप्रार्थीगण की भूमि से पश्चिमी दिशा में स्थित है। जिसके साथ कटाणी रास्ता जुड़ा हुआ है। उक्त रास्ता कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक पड़ता हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि का उपयोग, उपभोग करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, रास्ते के अभाव में उक्त भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण करने में असमर्थ है, बहुत ही कठिनाई से जीवन व्यतित कर रहे है। गत् कई वर्षो से पड़ौसी खातेदार जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 है, उनकों रास्ते के लिए निवेदन कर चुके है लेकिन रजाबंदी से रास्ता देने के लिए तैयार नही है। वर्तमान में प्रार्थी वगैरह को [illegible] भूमि में आने–जाने के लिए किसी प्रकार का कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को व अप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी की भूमि में आने–जाने के लिए जिनके खसरा नम्बर 166, 167, 168 है, में केवल निकटतम् रास्ता खसरा नम्बर 170 में से दक्षिणी माठ से लगता हुआ है, जिससे ही रास्ता [illegible] करना सम्भव है, जो अप्रार्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

1 ता 5 की खातेदारी में है उक्त खसरे के पश्चिम में कटाणी रास्ता लगा हुआ है, जो वर्तमान में पक्की रोड़ के रूप में स्थित है। उक्त कटाणी रास्ते से खसरा नम्बर 170 में से खसरा नम्बर 166, 167, 168 में जाने के लिए प्रार्थीगण को रास्ते के लिए 120 मीटर (ल.) एवं 4 मीटर (चौ.) कुल क्षेत्रफल 480 वर्गमीटर रास्ते दिलवाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक घाटवा से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6, 10 ता 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30 ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 166, 167, 168 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 170 में से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 120 मीटर लम्बाई एवं उत्तर से दक्षिण 4 मीटर चौड़ाई कुल 480 वर्गमीटर का रास्ता कायम करने का आदेश तहसीलदार को देकर कटाणी रास्ता कायम करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 154, 170 कुल रकबा 2.29 हैक्टर भूमि जिसमें उत्तरदाता गणपतराम की 1/2 हिस्सा भूमि आयी हुई हैं जिसका सहखातेदार दर्ज चला आ रहा हैं जो जरिये विक्रय पत्र खरीद शुदा भूमि आयी हुई है। खसरा नम्बर 166, 167, 168 कुल रकबा 3.75 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा उत्तरदाता की सहखातेदारी की भूमि आयी हुई हैं जिसका मौके पर तो भू-विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही हैं। खसरा नम्बर 181 रकबा 1.49 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण उत्तरदाता की 1/2 हिस्से की भूमि के काबिज सहखातेदार दर्ज चले आ रहे है जिसमें रास्ता नहीं लगता है जबकि उत्तरदाता खसरा नम्बर 170, 166, 167, 168 व खसरा नम्बर 181 सहखातेदार चला आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता को अगर रास्ता नहीं दिया जा रहा है नहीं मील रहा है तो उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शेनुसार रास्ता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 170 में से 166, 167, 168 व 181 की भूमि प्रार्थी/उत्तरदाता की सहखातेदारी की भूमि आयी हुई हैं जिसमें उत्तरदाता खसरा नम्बर 181 तक अप्रार्थीगण मुताबिक नजरी नक्शेनुसार रास्ता कायम गै.मु. रास्ता कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। भू.अ. निरीक्षक घाटवा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म बारानी 1 में सहखातेदारी दर्ज हैं। खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टर में से प्रार्थीगण मालीराम, दीपाराम, मदनलाल ने खसरा नम्बर 166, 167, 168 में जाने के लिए खसर नम्बर 170 की दक्षिणी माठ से 120 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई रास्ते की मांग की है [illegible] रास्ते खसरा नम्बर 125 से नजदीकी दूरी पर हैं। खसरा नम्बर 170 की दक्षिणी [illegible] पूर्व की ओर भूमि रास्ते हेतु 120 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 480 वर्गमीटर [illegible] है जो मौके पर खाली है तथा न ही प्रस्तावित भूमि में कोई पेड़ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 166, 167, 168 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 170 में से 120 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 480 वर्गमीटर का रास्ता चाहते हैं जिसपर अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30 ने इकबाली जवाब पेश कर सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 170 में से होते हुए खसरा नम्बर 166, 167, 168 से खसरा नम्बर 181 तक जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी भूमि हैं, तक मुताबिक नजरी नक्शानुसार गै.मु. रास्ता कायम करने का निवेदन किया। परन्तु खसरा नम्बर 166, 167, 168 की भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज हैं इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 पृथक से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 170 में से ही नजदीकी रास्ता लगता हैं तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 166, 167, 168 में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम गांधीग्राम के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टर में से मौका रिपोर्ट में अंकित अनुसार 120 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 480 वर्गमीटर अर्थात 0.0480 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें एवं उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:35 IST
Reason: SelfAttested